

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 108/2021

वादीगण-

1. मूलसिंह पुत्र लिछमणसिंह
2. कल्याणसिंह पुत्र लिछमणसिंह
3. गजराज कंवर पुत्री लिछमणसिंह, जातियान- राजपूत निवासी-कसनाउ, तहसील जायल।
बनाम

प्रतिवादीगण -

1. भंवरसिंह पुत्र लिछमणसिंह
2. प्रतापसिंह पुत्र लिछमणसिंह, जातियान- राजपूत निवासी- कसनाउ, तहसील जायल।
3. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक

21/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बड़े की पुस्तैनी भूमि मौजा कसनाउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर, खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्बन्ध 2072 की आखातीज को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से घ) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 मूलसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 1/4 दक्षिणी भाग खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 1/4 पश्चिमी हिस्सा तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 1/4 पश्चिमी हिस्सा नजरीनकशानुसार रखा गया है। वादी संख्या 2 कल्याणसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 1/4 उत्तरी भाग खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 1/4 पश्चिमी हिस्सा तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 1/4 पूर्वी हिस्सा नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 1/4 दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 1/4 पूर्वी हिस्सा तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 1/4 पश्चिमी हिस्सा नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रतापसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 1/4 उत्तरी भाग खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 1/4 पूर्वी हिस्सा तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 1/4 पूर्वी हिस्सा नजरीनकशानुसार

21/6/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

रखा गया है। वादी संख्या 3 के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सीव-नीव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने दिनांक 18.11.2021 को स्वयंय उपस्थिति के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट गेलोली ग्राम पंचायत में इकबालिया जबाब पेश पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह राठौड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता अम्बालाल पारासर ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर अप्राप्त है लेकिन कैम्प कोर्ट में उपस्थित रहकर राजहित सुरक्षित रखते हुवे किसी प्रकार की आपति जाहिर नहीं की, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र मूलसिंह पुत्र लिछमणसिंह, भंवरसिंह, प्रतापसिंह पुत्रगण लक्ष्मणसिंह के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम कसनाउ तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 216 प्रदर्श-1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबालिया जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक ईकबालिया जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबालिया जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 16.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार

अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18.11.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।


हमारी राय में मौजा कसनाउ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा कसनाउ के खेत खसरा नंबर 21, 562, 567 की भूमि में हिस्से विशेष का बंटवाड़ा चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा कसनाउ के खेत खसरा नंबर 21, 562, 567 हैक्टेयर की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 27.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 27.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3557 दिनांक 24.5.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में प्रतिवादी प्रतापसिंह ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनकशानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढकर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान जसवीरसिंह, हीरादास, श्रवण, देवकरण तथा भू.अभि.निरीक्षक लूणसरा की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। वादी संख्या 3 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये वादी संख्या 3 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। जिन्होंने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा कसनाउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर, खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

- : : आदेश : : -


यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कसनाउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर, खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाना है।

1. वादी संख्या 1 मूलसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.4856 हैक्टेयर दक्षिणी भाग से दूसरा भाग नजरीनकशानुसार व खेत खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.4046 हैक्टेयर पूर्व हिस्से से दूसरा भाग नजरीनकशानुसार तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 0.2550 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्से से दूसरा भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है।


जिला कलेक्टर
(रा.स.ओ.) जयपुर

2. वादी संख्या 2 कल्याणसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.4857 हैक्टेयर उत्तरी भाग से दूसरा भाग नजरीनक्शानुसार, खेत खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.4047 हैक्टेयर पश्चिमी से दूसरा भाग नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 0.2549 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.4856 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.4047 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 0.2549 पश्चिमी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 प्रतापसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.4856 उत्तरी भाग नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.4047 पश्चिमी हिस्सा तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 0.2550 हैक्टेयर पूर्वी हिस्से से दूसरा भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. वादी संख्या 3 के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये वादी संख्या 3 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



AV
21/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्लदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 106/2021

वादीगण-

1. मूलसिंह पुत्र लिछमणसिंह
 2. कल्याणसिंह पुत्र लिछमणसिंह
 3. गजराज कंवर पुत्री लिछमणसिंह
- जातियान- राजपूत निवासी- कसनाउ, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. भंवरसिंह पुत्र लिछमणसिंह
 2. प्रतापसिंह पुत्र लिछमणसिंह
 3. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।
- जातियान- राजपूत निवासी- कसनाउ, तहसील जायल।

उपस्थिति :-

1. श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 अधिवक्ता अम्बालाल पारासर व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कसनाउ तहसील जायल में खसरा नं. 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर, खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाना है।

1. वादी संख्या 1 मूलसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.4856 हैक्टेयर दक्षिणी भाग से दूसरा भाग नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.4046 हैक्टेयर पूर्व हिस्से से दूसरा भाग नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 0.2550 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्से से दूसरा भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 कल्याणसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.4857 हैक्टेयर उत्तरी भाग से दूसरा भाग नजरीनक्शानुसार, खेत खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.4047 हैक्टेयर पश्चिमी से दूसरा भाग नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 0.2549 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

21/6/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

3. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.4856 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.4047 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 0.2549 पश्चिमी हिस्सा नजरीनकशानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 प्रतापसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाउ का खेत खसरा नंबर 21 रकबा 1.9425 हैक्टेयर में से 0.4856 उत्तरी भाग नजरीनकशानुसार व खसरा नंबर 567 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 0.4047 पश्चिमी हिस्सा तथा खसरा नंबर 562 रकबा 1.0198 हैक्टेयर में से 0.2550 हैक्टेयर पूर्वी हिस्से से दूसरा भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है।
5. वादी संख्या 3 के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये वादी संख्या 3 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिंग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसुलयावी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)